अस्वीकरण

हिन्दी में अनुवादित संस्करण मात्र समझ हेतु है और इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और शासकीय उद्देश्यों के लिए, इसका मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

[संशोधन (एडमिन 'जी-आई') अनुभाग]

अधिसूचना

सं. 130/VIIIC,

18 अप्रैल, 2018

<u>सुधार पर्ची संख्या 258</u>

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 खंड I में निम्नलिखित संशोधन करने की तुष्टी करता है, जो आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

'इलाहाबाद उच्च न्यायालय (संशोधन) नियमावली, 2018'

1. शीर्षक एवं प्रारंभ :-

(i) इन नियमों को "इलाहाबाद उच्च न्यायालय (संशोधन) नियमावली, 2018" कहा जाएगा।

(ii) ये नियम सरकार के आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा:- नियम से तात्पर्य "इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952" से है।

3. अध्याय XXIV में संशोधन:- न्यायालय के नियम, 1952, खंड I के अध्याय XXIV के मौजूदा प्रावधानों को, 'अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 34(1) के साथ पठित धारा 16(2) के तहत बनाए गए नियम' शीर्षक के अंतर्गत, 'वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम नियमावली, 1999' के संबंध में, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

संशोधन

वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम नियमावली, 2018

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:- (1) इन नियमों को 'वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम नियमावली, 2018' कहा जाएगा।

(2) ये नियम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संपूर्ण क्षेत्राधिकार पर लागू होंगे।

(3) ये नियम अधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ:- इन नियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिवक्ता" से तात्पर्य ऐसे अधिवक्ता से है जिसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के प्रावधानों के तहत तैयार और अनुरक्षित रोल में दर्ज है;

(ख) "समिति" से तात्पर्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु गठित "स्थायी समिति" से है, जैसा कि इस नियमावली के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत गठित किया गया है;

(ग) "न्यायालय" से वही अर्थ है जो न्यायालयीय नियमावली, 1952 में परिभाषित है;

(घ) "उच्च न्यायालय" से वही तात्पर्य है जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2 (जी) में परिभाषित है;

(ङ) "रोल" से तात्पर्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के प्रावधानों के तहत तैयार और अनुरक्षित अधिवक्ताओं की सूची से है;

(च) "सचिवालय" से तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस नियमावली के नियम 3 के उप-नियम (2) के अधीन स्थापित स्थायी सचिवालय से है।

3. वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु स्थायी समिति:- (1) उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम से संबंधित सभी मामलों का निस्तारण स्थायी समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश करेंगे और जिसमें उच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश; (ii) उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता; और (iii) समिति के सदस्यों द्वारा मनोनीत बार के एक नामित वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल होंगे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन गठित समिति का एक सचिवालय होगा, जिसकी संरचना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा समिति के अन्य सदस्यों से परामर्श करके तय की जाएगी।

(3) समिति समय-समय पर सचिवालय के कामकाज के संबंध में ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध

में आवश्यक डेटा और जानकारी को एकत्र करने, संकलित करने और प्रस्तुत करने का तरीका और स्रोत शामिल है।

4. किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करना:- (1) उच्च न्यायालय किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित कर सकता है, यदि उसकी राय में, उसकी योग्यता और बार में प्रतिष्ठा के आधार पर, उक्त अधिवक्ता ऐसे सम्मान का पात्र है।

स्पष्टीकरण: "बार में प्रतिष्ठा" शब्द का अर्थ है किसी अधिवक्ता द्वारा अपनी वरिष्ठता, कानूनी दक्षता और न्यायालय के अंदर और बाहर दोनों जगह बनाए रखे गए उच्च नैतिक मानकों के कारण बार में प्राप्त की गई प्रतिष्ठित स्थिति के बारे में है।

(2) एक अधिवक्ता जिसने अधिवक्ता के रूप में कम से कम दस वर्ष का वास्तविक अभ्यास किया हो, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए योग्य हों द्वारा भी नामित किए जाने की सिफारिश की जा सकती है।

5. वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम हेतु आवेदन:- उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए जाने पर विचार किया जा सकता है:

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी मौजूदा न्यायाधीश द्वारा लिखित प्रस्ताव पर।

बशर्ते कि कोई मौजूदा न्यायाधीश द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में दो से अधिक अधिवक्ताओं के लिए ऐसा प्रस्ताव न किया गया हो; या

(ख) किसी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन पर, जिसकी सिफारिश दो नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा की गई हो।

इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि ऐसे नामित वरिष्ठ अधिवक्ता एक कैलेंडर वर्ष में दो से अधिक अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश नहीं करेंगे।

6. पदनाम की प्रक्रिया:- (1) किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए सभी लिखित प्रस्ताव और आवेदन सचिवालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

बशर्ते कि किसी अधिवक्ता द्वारा प्रत्येक आवेदन इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट-ए के प्रपत्र संख्या 1 में किया जाएगा।

इसके अलावा, यदि प्रस्ताव किसी न्यायाधीश की ओर से आता है, तो उसे निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। हालांकि, प्रस्ताव प्राप्त होने पर, सचिवालय संबंधित अधिवक्ता से समिति द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर प्रपत्र संख्या 1 विधिवत भरकर प्रस्तुत करने का अनुरोध करेगा, और ऐसे मामले में दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अनुशंसा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

(2) किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने हेतु आवेदन या प्रस्ताव प्राप्त होने पर, सचिवालय संबंधित अधिवक्ता की प्रतिष्ठा, आचरण, सत्यनिष्ठा और उनकी भागीदारी से संबंधित प्रासंगिक आंकड़े और जानकारी संकलित करेगा। इसमें जनहित में निःशुल्क विधिक सेवा में उनकी भागीदारी और पिछले पांच वर्षों के उन निर्णयों की जानकारी भी शामिल होगी जिनमें संबंधित अधिवक्ता पेश हुए और उन्होंने वास्तव में बहस की है।

(3) सचिवालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए जाने वाले अधिवक्ताओं के प्रस्तावित नामों को अधिसूचित करेगा और समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर सुझाव और विचार आमंत्रित करेगा।

(4) उपरोक्त के अनुसार सामग्री संकलित करने के बाद और समिति द्वारा किसी विशेष उम्मीदवार के संबंध में प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद और सुझाव और विचार प्राप्त कर लेने के बाद, सचिवालय मामले को समिति के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत करेगा।

(5) सचिवालय द्वारा मामला प्रस्तुत किए जाने पर, समिति उपलब्ध कराई गई सामग्री के आलोक में उसकी जांच करेगी और यदि चाहे तो संबंधित अधिवक्ता(गण) से भी बातचीत कर सकती है और उसके बाद इन नियमों के परिशिष्ट-बी में दिए गए बिंदु आधारित प्रारूप के आधार पर अपना समग्र मूल्यांकन करेगी।

(6) समिति द्वारा समग्र मूल्यांकन के बाद, उसके समक्ष सूचीबद्ध सभी नाम उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ पूर्ण न्यायालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(7) सामान्यतः मतपत्र द्वारा मतदान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अपरिहार्य न हो। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा, अन्यथा मतपत्र द्वारा मतदान किया जा सकता है। मतपत्र द्वारा मतदान की स्थिति में, उपस्थित और मतदान करने वाले न्यायाधीशों के बहुमत का मत पूर्ण न्यायालय का निर्णय माना जाएगा। यदि उपस्थित न्यायाधीशों के मत बराबर हों, तो मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(8) पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुकूल रूप से विचार न किए गए मामलों की समीक्षा/पुनर्विचार दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है, मानो प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार किया जा रहा हो।

7. मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करना:- (1) पूर्ण न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के नाम की स्वीकृति पर, माननीय मुख्य न्यायाधीश, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत ऐसे अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करेंगे।

(2) महानिबंधक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, भारतीय बार काउंसिल और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पदनाम के बारे में अधिसूचित करेगा।

(3) समिति की कार्यवाही का अभिलेख और इस संबंध में पूर्ण न्यायालय से प्राप्त अभिलेख को स्थायी सचिवालय द्वारा आगे के संदर्भ के लिए रखा जाएगा।

8. नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर प्रतिबंध:- एक वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसे प्रतिबंधों के अधीन होगा जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारतीय बार परिषद या राज्य की बार परिषद समय-समय पर निर्धारित कर सकती है।

9. कनवेसिंग:- वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के लिए नामांकित व्यक्ति/आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार से कनवेसिंग करने पर वह अगले पांच वर्षों के लिए इस पद के लिए विचार किए जाने या नामित किए जाने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

10. व्याख्या:- इन नियमों की व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न मुख्य न्यायाधीश के पास भेजे जाएंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

11. समीक्षा एवं नियुक्ति वापसी:- (1) यदि वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए जाने के बाद न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा यह सूचना दी जाती है कि न्यायालय के भीतर या बाहर अपने आचरण या व्यवहार के कारण उन्होंने न्यायालय द्वारा प्रदत्त इस पद के विशेषाधिकार को खो दिया है, तो मुख्य न्यायाधीश उक्त अधिवक्ता का वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम वापस लेने के विचारार्थ मामले को पूर्ण न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। यदि पूर्ण न्यायालय का यह मत है कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय के भीतर या बाहर अपने आचरण या व्यवहार के कारण स्वयं को इस पदनाम के योग्य नहीं ठहराया है, तो पूर्ण न्यायालय संबंधित व्यक्ति को नामित करने के अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और पदनाम वापस ले सकता है।

(2) समीक्षा और नियुक्ति वापसी की प्रक्रिया वही होगी जो नियम 6 के उप-नियम (7) के अंतर्गत दी गई है। पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदन के बाद मुख्य न्यायाधीश ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति वापस ले लेंगे। महानिबंधक इस निर्णय को उसी प्रकार अधिसूचित करेंगे जैसा कि इस नियमावली के नियम 7 के उप-नियम (2) में वर्णित है।

12. निरसन एवं संरक्षण:- इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय XXIV के नियम 11 को छोड़कर, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयवस्तु से संबंधित सभी पूर्ववर्ती नियम, जिनमें किसी अधिवक्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के दिशानिर्देश भी शामिल हैं, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं। यद्यपि, यह निरसन स्वतः ही निरस्त नियमों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई कार्रवाइयों को अमान्य नहीं करेगा।

परिशिष्ट-ए

[नियम 6(1) देखें]

प्रपत्र संख्या 1

वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम हेतु आवेदन पत्र

आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो

1	नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	पता	स्थायी पता
		पत्राचार का पता
4	आयु/ जन्म तिथि	
5	बार काउंसिल की नामांकन संख्या और नामांकन तिथि (प्रति संलग्न करें)	
6	अधिवक्ता रोल नंबर	
7	उस बार एसोसिएशन का नाम जिसका वह सदस्य है/है।	
8	प्रैक्टिस के वर्षों की संख्या, और न्यायालयों के नाम जिनमें प्रैक्टिस की गई हो।	
9	यदि विधि की किसी भी शाखा में विशेषज्ञता प्राप्त हो।	
10	आधार संख्या (प्रति संलग्न करें)	
	पैन कार्ड नंबर (प्रति संलग्न करें)	
11	वह वर्ष जिससे वह व्यावसायिक आय के संबंध में आयकर निर्धारक बना/बनी (संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें)।	
12	पिछले पांच वर्षों के लिए घोषित सकल व्यावसायिक आय का वार्षिक विवरण (इस संबंध में दस्तावेजों/आयकर रिटर्न की प्रतियों सहित)	
13	व्यावसायिक योग्यता (प्रति संलग्न करें)	
14	अतिरिक्त योग्यता (प्रति संलग्न करें)	
15	कान्टेक्ट नं.	
	ई मेल	
16	क्या वह राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैधानिक निकाय या संस्था के अधिवक्ताओं के पैनल में है या रह चुका है? यदि हां, तो इसका विवरण दें।	
17	पिछले पांच वर्षों में विधि संबंधी प्रश्नों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों का विवरण जिनमें वह उपस्थित हुआ/हुई तथा इस अवधि के दौरान ऐसे रिपोर्ट किए गए मामलों के कम से कम दस उद्धरणों का विवरण।	
18	उनके चैंबर/कार्यालय में उनके साथ जुड़े अधिवक्ताओं के नाम और विवरण।	

19	उन मामलों का विवरण जिनमें वह पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी अन्य अधिवक्ता (जो उनके चैंबर/कार्यालय का अधिवक्ता न हो) की ओर से बहस करने वाले अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुआ/हुई, और उन अधिवक्ताओं के नाम और विवरण जिनकी ओर से वह उपस्थित हुआ/हुई।
20	किसी पत्रिका में प्रकाशित लेखों का विवरण, यदि कोई हो, या पुस्तकों का विवरण, यदि कोई हो, जिनके लेखक हों।
21	क्या यह विधि संकाय से संबद्ध है (यदि हां, तो उसका विवरण)।
22	उन मामलों का विवरण जिनमें उन्होंने निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की।
23	किए गए नि:शुल्क कार्य का विवरण।
24	क्या पिछले दो वर्षों में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए जाने के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था या नहीं।
25	क्या वह किसी आपराधिक मामले या राज्य बार काउंसिल के समक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही में शामिल है/है? यदि हां, तो कार्यवाही का विवरण, परिणाम और वर्तमान स्थिति बताएं।
26	क्या वह किसी अवमानना मामले में शामिल है/है?
27	क्या उत्तर प्रदेश राज्य बार काउंसिल / बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उनके खिलाफ पेशेवर कदाचार के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है (लंबित या निर्णयित)।
28	क्या किसी न्यायालय द्वारा किसी आदेश/निर्णय में उसके विरुद्ध कोई टिप्पणी की गई है?
29	क्या वह किसी ऐसी अप्रत्यक्ष गतिविधि में शामिल है जो उसे वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए जाने के लिए अयोग्य ठहरा सकती है?

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मैं, अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता, जो उत्तर प्रदेश राज्य में वकालत करता हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए जाने हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करता हूँ और उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार नामित किए जाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

(हस्ताक्षर)

परिशिष्ट-बी

[नियम 6 (5) देखें]

वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए जाने हेतु अधिवक्ता के मूल्यांकन के लिए प्वाइंट्स आधारित प्रारूप

क्र.सं.	**मैटर**	**प्वाइंट्स**
1	नामांकन की तिथि से आवेदक अधिवक्ता के अभ्यास के वर्षों की संख्या [10-20 वर्षों के अभ्यास के लिए 10 अंक, 20 वर्षों से अधिक के अभ्यास के लिए 20 अंक]	20 प्वाइंट्स
2	निर्णय (प्रकाशनार्थ अनुमोदित और अप्रकाशित): जो संबंधित अधिवक्ता द्वारा मामले की कार्यवाही के दौरान अपनाई गई कानूनी कार्यवाही की रूपरेखा को दर्शाते हैं; संबंधित अधिवक्ता द्वारा किए गए नि:शुल्क कानूनी कार्य; आवेदक अधिवक्ता की कानून की विभिन्न शाखाओं में विशेषज्ञता, जैसे संवैधानिक कानून, अंतरराज्यीय जल विवाद, आपराधिक कानून, मध्यस्थता कानून, कॉर्पोरेट कानून, पारिवारिक कानून, मानवाधिकार, जनहित याचिका, अंतर्राष्ट्रीय कानून, महिलाओं से संबंधित कानून आदि।	40 प्वाइंट्स
3	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकाशन	15 प्वाइंट्स
4	इंटरव्यू/बातचीत के आधार पर व्यक्तित्व और उपयुक्तता की जाँच।	25 प्वाइंट्स

न्यायालय के आदेशानुसार

ह. अपठित

महानिबंधक